🚘 जनपद- हाथरस ।🚘

◈ दिनांक- 24.11.2024◈

‼️ थाना साईबर क्राइम पुलिस की कार्यवाही में फर्जी आराध्या फाइनेंस कम्पनी द्वारा फर्जी आईडी कार्ड व ज्वाइंनिंग लेटर देकर लोगो को नौकरी पर रखकर आमजन को लोन दिलाने के नाम पर फाइल चार्ज आदि के नाम पर ठगी करने वाली फर्जी फाइनेंस कम्पनी का भण्डाफोड करते हुये गिरोह के 02 सदस्यों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 04 मोबाइल फोन, 05 आधार कार्ड, 09 सिम कार्ड व एक लैपटॉप व ₹14000 रुपये (चौदह हजार रुपये) नगद बरामद । ‼️

गिरफ्तार अभियुक्तगण अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फर्जी कंपनी/कूटरचित दस्तावेज बनाकर फर्जी आईडी व ज्वाइंनिंग लेटर देकर लोगो को नौकरी पर रखकर लोन दिलाने का आश्वासन देकर फाइल चार्ज आदि के नाम पर साइबर फ्रॉड करके रुपयो की ठगी करते थे ।

अवगत कराना है कि श्री अमित कुमार पुत्र स्व0 ऐदल सिंह निवासी ग्राम नगला भूरा वार्ड नं0 9 हाथरस द्वारा तहरीर के माध्यम से थाना साईबर क्राइम पर सूचना दी कि मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी, मैने APNA एप्प के माध्यम से नौकरी के लिये पंजीकरण कराया गया था तभी मेरे पास एक फोन आया और उन्होने आराध्या फाइनेंस कम्पनी में नौकरी करने के लिये बोला और मेरे पास जॉइनिंग लैटर व आईडी कार्ड भी भेजा था उसके बाद बताया गया कि तुम्हें लोगो के लोन कराने है और मैने अपने गाँव के आस पास के लोगो को लोन कराने पर फाइल चार्ज के नाम पर उनके बताये अनुसार विभिन्न खातों में रुपये जमा कर दिये थे परन्तु किसी भी व्यक्ति के लोन के रूपये खाते में नहीं आये । और उसको ठगी का पता चला । जिसके उपरांत उनके द्वारा साइबर क्राइम जनपद हाथरस पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी गयी जिसके सम्बन्ध में साइब क्राइम पुलिस थाना हाथरस पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस को घटना के अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम में पुलिस टीम के कठिन परिश्रम व अथक-प्रयासोपरान्त संकलित साक्ष्यों, थाना साइबर क्राइम की टेक्निकल इंटेलिजेंस आदि से प्राप्त लाभप्रद सूचना के संकलन से आज दिनांक 24.11.2024 को थाना साइबर क्राइम की टीम द्वारा फर्जी फाइनेंस कम्पनी का भण्डाफोड करते हुये आमजन को लोन दिलाने के नाम फाइल चार्ज आदि के नाम पर ऑनलाइन ठगी कर अलग अलग बैंक खातो में रुपये डलवाकर रुपये ऐठने वाले सक्रिय गिरोह के 02 सदस्य को हाथरस जक्शन रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । जिनके कब्जे से 04 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी, 05 आधार कार्ड , 09 सिम कार्ड व 14000/- रुपये(चौदह हजार रुपये) नगद बरामद किये है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण/अपराध करने का तरीका- गिरफ्तार अभियुक्तगणो ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो आराध्या नाम की फर्जी फाईनेंस कम्पनी के लिये काम करते थे, जो आधार कार्ड आपको हम लोगो से बरामद हुए है ये सभी फर्जी है । जिनसे हम लोग सिम निकालकर प्रयोग करते थे। आराध्या फाइनेंस कम्पनी लोगो का लोन स्वीकृत करने के संबंध में थी, हम लोग ऑनलाइन लोगो से फोन से सम्पर्क करते थे व उनको फर्जी आई कार्ड व ज्वाइनिंग लेटर देकर नौकरी पर रख लेते थे तथा उन लोगो को लोन स्वीकृत कराने को कहते थे जिसके बाद वे लोग अन्य लोगो को लोन स्वीकृत कराने का कार्य करते थे । लोन स्वीकृत कराने के लिये फर्जी तरीके से जॉब पर रखे गये व्यक्ति से फाइल चार्ज आदि के नाम पर फर्जी खातो मे ऑनलाइन पैसा डलवा लिया जाता था। कॉल सेन्टर को नदीम पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी सिंधावली थाना कंकरखेडा जिला मेरठ चलाता था तथा फर्जी कम्पनी के इस काम मे हमारे अन्य आरोपी गण भी थे। आज जो रूपये बरामद हुए है यह पैसा आराध्या फाईनेंस सर्विस से लोन कराने के नाम से फाईल चार्ज आदि के रूप में फर्जी तरीके से नौकरी पर रखे लोगो से ऑनलाइन लिया गया है।

घटना के संलिप्त अन्य आरोपी गणो की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे है । पुलिस द्वारा अग्रेत्तर विधिपूर्ण कार्यवाही की जा रही है ।

▶️ गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता

1.नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री पूरन सिंह निवासी ग्राम सिंधावली रोहटा रोड थाना कंकरखेडा जिला मेरठ हाल निवासी F6 ईरा गार्डन NH58 मेरठ बाईपास थाना कंकरखेडा जिला मेरठ।

2.रामकुमार पुत्र स्व0 रामप्रकाश नि0 ग्राम बलरई सालादी नगला जसवन्तनगर इटावा उ0प्र0 हाल निवासी A12 गली नं0 4C वेस्ट करावल नगर थाना करावल नगर नार्थ ईस्ट दिल्ली ।

➡ बरामदगी का विवरण
1.14,000 रुपये (चौदह हजार रुपये)।
2.01 लैपटॉप।
3. 04 स्मार्ट मोबाइल फोन
4. 05 आधार कार्ड।
5. 09 सिम कार्ड।

अनावरित अभियोग-
मु0अ0सं0 19/24 धारा 318(4) BNS व 66D IT Act साइबर थाना जनपद हाथरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
निरीक्षक श्री रामविदेश थाना साइबर क्राइम मय टीम थाना साइबर क्राइम हाथरस।

MEDIA CELL HATHRAS